

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 609 FP/UK/ROAD/25918/2017 दिनांक: देहरादून 28 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भडवाडी में हिना-गॉव सम्पर्क मोटर मार्ग कार्य हेतु 2.606 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 26-02-2020

महोदय,


विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 26-02-2020 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	As per DSS analysise KML file of 4.10 ha found uploaded instead of 5.12 ha, State Govt. may review the same and upload the correct KML file.	Revised KML file has been uplaoded at designated place.
2	SoI toposheet of proposed road, CA site suitability, bar chart, justification, FRA, aerial distance certificate, muck disposal plan administrative approval and benefited village certificate is not found submitted in hard copy. State Govt may submit the aforesaid documents in original.	उक्त प्रपत्रों को संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3	Administrative approval land schedule, muck disposal plan, geologist report, aerial distance certificate and work not start certificate not found uploaded. State govt. may upload the aforesaid documents at their designated place.	All required documents have been uploaded as additonal information details in part I.
4	Non forest land details is not filled in part I. State Govt may fill the details of non forest land at designated place.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग के समरेखण में सिविल सोयम भूमि 0.019 हे०, आरक्षित वन भूमि 2.588 हे० तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.540 हे० कुल 2.606 हे० भूमि की आवश्यकता है। Non forest भूमि मार्ग के समरेखण में नहीं पडती है।
5	Instead of alternative alignmnet at para D2 (a) in Para I, FRA found uploaded State Govt may upload the alternative alignment para D2 (a).	Alternative alignment has been uploaded at Para D- 2 (a) in Form A, part I.
6	Area metnioned in CA site suitability is 4.132 ha instead of double of that area. Area mentioned at para L (iv)(f) and (h) also found incorrect. State Govt may review the same and submit correct information.	Correction has been done in Form A, part I.

7	DFO mentioned in his SIR that the area falls in submit the comments of monitoring committee in this regard.	मुख्य सचिव/ अध्यक्ष भागीरथी ईको-सेन्सटिव जोन में सम्पन्न मोनेटरिंग समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिया गया भागीरथी ईको-सेन्सटिव जोन की अधि सूचना में जिन गतिविधियों को Regulated category में सम्मिलित किया गया है। उनसे सम्बन्धित तथा भागीरथी ईको-सेन्सटिव जोन सम्बन्धी भारत सरकार को प्रेषित जोनल मास्टर प्लान में समाविष्ट योजनाओं के सम्बन्ध में मोनेटरिंग कमेटी से औपचारिक अनुमादेन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी बैठक का कार्य वृत्त पार्ट 1 के additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
8	State Govt may submit the hard copy of the above mentioned points.	उक्त दस्तावेजों की हार्ड प्रति हेतु प्रस्तावक विभाग को लिखा गया है प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(डी०जे०के० शर्मा) 28/8/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी